

सहायक नगर आयुक्त / नगर आयुक्त महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि नगर निगम सीमान्तर्गत दो पहिया / चार पहिया, पार्किंग स्थल की निविदा में गतवर्ष की निविदा धनराशि में 10% की बढ़ोत्तरी करते हुए निविदा वित्तीय वर्ष 2020-21 (माह अक्टूबर, 2020 से 31 मार्च, 2021) तक के लिए आमंत्रित की जानी है। साथ ही अवगत कराना है कि चूंकि यह निविदा की धनराशि रूपया 10,00000/- से कम होने के कारण बाक्स निविदा कराया जाना है। निविदा दिनांक 25.9.2020 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से 1.00 बजे अपरान्ह तक कार्यालय से प्राप्त किये गये फार्म पर भरकर सखामर्कनगर आयुक्त महोदय के कार्यालय में रखे गये निविदा बाक्स में डाला जायेगा तथा उसके तत्काल बाद उसी दिन निविदादाताओं के उपरिख्यति में खोला जायेगा। निविदा फार्म शुल्क व नियम/शर्त रूपया 2360/- (18% जी0 एस0 टी0 सहित) नगर जमा करके कार्यालय रेन्ट विभाग, नगर निगम, गोरखपुर से प्राप्त किया जा सकता है। तथा नगर निगम के वेबसाइट www.nagarnigamgkp.org से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा फार्म, निविदा तिथि के एक दिन पूर्व अपरान्ह 3.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। पार्किंग स्थल निविदा का विवरण निम्नवत् है—

क्र०सं०	स्थल का नाम	स्थल	न्यूनतम निर्धारित / अपेक्षित धनराशि	धरोहर धनराशि	कुल निविदा फार्म मूल्य जी0एस0टी0सहित
1	नार्मल टैक्सी स्टैण्ड, जीप/ टैक्सी/टैम्पो (विक्रम मार्क 6 सीटर)	नार्मल तिराहा के पास सड़क के पूर्वी पटरी पर ट्रान्सफार्मर के दक्षिण से नार्मल स्कूल के दक्षिण गेट तक	820891.00	83000.00	2360.00
2	मोहद्दीपुर बस / टैक्सी स्टैण्ड, जीप/ टैक्सी/टैम्पो (विक्रम मार्क 6 सीटर)	राजकीय उद्यान (वही पार्क के समीप)	659340.00	66000.00	2360.00
3	शाहपुर टैक्सी स्टैण्ड, जीप / टैक्सी/टैम्पो(विक्रम मार्क 6 सीटर)	राष्ट्रीय बस डिपो, शाहपुर थाना के आगे उत्तरी सड़क पटरी पर	588272.00	59000.00	2360.00

नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित टैक्सी स्टैण्डों से पार्किंग शुल्क वसूली के लाइसेन्स हेतु निविदा की नियम एवं शर्तेः—

- 1— निविदा फार्म के साथ चरित्र प्रमाण पत्र जो जिलाधिकारी द्वारा जारी किया गया हो तथा वैधता अवधि के भीतर हो संलग्न अनिवार्य होगा।
- 2— निविदा फार्म के साथ वांछित धरोहर धनराशि का डी0डी0/बैंकर्स चेक, लेखाधिकारी नगर निगम, गोरखपुर के पक्ष में देय होगा। जिसे अनिवार्य रूप से संलग्न करना आवश्यक है। अन्यथा की स्थिति में निविदा मान्य होगा।
- 3— निविदा की स्वीकृति तिथि से पार्किंग शुल्क की सम्पूर्ण धनराशि (मय 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अतिरिक्त) निविदा स्वीकृत होने सम्बन्धित पत्र निर्गत होने के तिथि से एक सप्ताह के भीतर निविदादाता को जमा करना अनिवार्य होगा। स्वीकृत निविदा की सम्पूर्ण धनराशि निर्धारित अवधि में जमा न करने की स्थिति में जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
- 4— स्वीकृत निविदा की धनराशि पर उचित मूल्य के स्टैम्प पेपर पर सम्पूर्ण धनराशि जमा होने के एक सप्ताह के अंदर अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना आवश्यक होगा। स्टैम्प पेपर की देयता यदि घटती बढ़ती है तो उसकी जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
- 5— निर्धारित स्थितों पर उनके सामने उल्लिखित वाहनों के अलावा अन्य वाहनों का विश्राम निषिद्ध होगा।
- 6— पार्किंग शुल्क नगर निगम के नियमावली में उल्लिखित दर से वसूली करना होगा तथा प्रत्येक वाहन के लिए रसीद दिया जाना आवश्यक होगा।

फ़ैला ११/२०२०
H.C.

- 7— पार्किंग स्थल पर स्थायी/अस्थायी अतिक्रमण रोकने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
 8— ठेकेदार द्वारा अवैध वसूली किये जाने के कारण यदि ठेका निरस्त होता है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
 9— पार्किंग स्थल पर रेट सूची बोर्ड लगाने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
 10— पार्किंग शुल्क वसूली की दरें निम्नवत् हैं:-

बस / टैक्सी / पार्किंग शुल्क की दरें रूपये में।

क्र०सं०	वाहन का विवरण	दैनिक	साप्ताहिक	मासिक	त्रैमासिक
1	बड़ी बस प्रति	120.00	720.00	2640.00	7680.00
2	मिनी बस प्रति	90.00	540.00	1980.00	5176.00
3	जीप / टैक्सी / टैम्पो विक्रम मार्का 6 सीटर	60.00	360.00	1320.00	3840.00

- 11— निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर में निहित होगा। बिना कारण बताये किसी भी निविदा को निरस्त किया जा सकता है।

अतः कृपया उपयोक्तानुसार पार्किंग स्थल की निविदा आमंत्रित करने एवं निविदा सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने की स्वीकृति हेतु पत्रावली नगर आयुक्त महोदय को अग्रसारित करने का कष्ट करे।

21/12/2020
MC

21/12/2020
(SMA)

(MC)

JW
21/12

दैनिक
एवं
हिन्दुस्तान
21/12/2020